न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 7/2023

जीसीएमएस : 2023/33

1. रामचन्द्र पुत्र श्री जगमाल जाति मेघवाल साकिन 24 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गा राम पुत्र श्री चान्दा राम
2. भूप राम पुत्र श्री दुर्गा राम

} जाति मेघवाल निवासीयान 24 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 08.07.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई प्रार्थी अधि.।
2. श्री अजय धारणियां अप्रार्थी सं. 1 ता 2 अधि.।

––निर्णय––

दिनांक 08.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक 24 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर खाता संख्या 61/52 में पं.नं. 184/339 मु.नं. 50 की 1.088 है. नहरी व पत्थर नं. 184/340 मुरब्बा नं. 51 के कि.नं. 7/2 13/1 की 1.520 है. नहरी कुल खाता योग 2.608 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि आवेदक की खातेदारी व कब्जा काश्त में है। अनावेदक की संयुक्त खाता संख्या 35/29 में पत्थर नं. 184/340 मुरब्बा नं. 51 के कि.नं. 13/2 ता 25 कुल 3.099 है. नहरी कृषि भूमि ब.हि.ब. खातेदारी रिकार्ड दर्ज है। आवेदक को अपनी ऊपर वर्णित इसी चक के मु.नं. 51 में स्थित अपनी जोत में आने–जाने, कृषि यंत्र व औजार ट्रेक्टर–ट्राली, बिड सहित ट्राली, बड़ी कम्बाईन लाने–ले जाने के लिये अनावेदकगण के इसी मुरब्बा नं. 51 के कि.नं. 13 ता 15 में चालू अस्वीकृत रास्ता से अपनी जोत में सुचारू आवागमन कर पाता है। इस रास्ता के अलावा आवेदक की जोत में पहुंच के लिये अन्य कोई सरल, सुलभ, सुविधाजनक, नजदीकी रास्ता न होने से उक्त रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। इसलिये यह आवेदन पेश कर रहा है। मगर अनावेदक इस रास्ता को अवरूध करने की फिराक में है इसलिए आवेदक जरिये व्यादेश उसे उसके उक्त अवैधानिक व गैरकानूनी कृत्य से रोक पाने का विधिक अधिकारी हैं। अतः आवेदन [illegible] पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदक स्वीकार फरमा[illegible] उसकी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ अनावेदकगण [illegible] कृति चक 24 एन. पी. तहसील रायसिंह[illegible]नं. 184/3[illegible] मु.नं. 51 के कि.नं. 13/[illegible] की 0.138 है. में 0.01[illegible] है. व मु.नं. 14–15 [illegible] सालम–सालम में से 0.02[illegible] है. प्रत्येक में कुल 0.065 है. यानि करी[illegible] 5 बिस्वा उतरी पा[illegible] रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:47 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 2 की तरफ से श्री अजय धारणियां अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अव्यवहारिक व अवैध है क्योंकि प्रार्थी के पास अपनी जोत में आवागमन करने के लिए पूर्व से ही चक 34 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 51 के कि.नं. 6 व 7/1 में नजदीकी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो रास्ता प्रार्थी की भूमि में आता है जिससें प्रार्थी अपने रकबा में आवागमन करता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास रास्ता का विकल्प होने के कारण वह हम अप्रार्थीगण की जोत में से कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसके अलावा प्रार्थी की भूमि के कि.नं. 6 तक रास्ता चालू है तथा कि. नं. 6 व 7/1 में नजदीकी वैकल्पिक रास्ता उसके लिए सरल, सुगम व सुविधापूर्वक रास्ता उपलब्ध है जिससे वह काफी अरसा पूर्व से अपनी जोत में आवागमन करता है लेकिन प्रार्थी ने दुर्भावना एवं रंजिशवंश हम अप्रार्थीगण की जोत के दो टुकड़े करने के लिए हमारे कि.नं. 13/2 व 14–15 में से रास्ता की मांग की है जो विधिपूर्ण एवं न्याय के सिद्वांतों के प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में आवेदक हम अप्रार्थीगण की भूमि में से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी वर्तमान सूरत में ही खारिज फरमाया जावे तथा हम अप्रार्थीगण को खर्चा जवाबदेही दिलाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/890 दिनांक 25.05.2025 की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया कि प्रार्थी ने अपने खेत पं.नं. 184/340 मु.नं. 51 के कि.नं. 7/2 ता 13 में पहुंचने के लिये चक 24 एनपी के कि.नं. 13/2 में 0.015 है., 14–15 प्रत्येक में 0.025 है. गैरमुमकिन रास्ता की मांग की है जिससें प्रार्थी अपने खेत में आवागमन सुचारू रूप से कर सकता है। मौका पर अप्रार्थी दुर्गाराम पुत्र चान्दाराम उपस्थित मिला अप्रार्थी ने उक्त कि.नं. रास्ता स्वीकृति हेतु असहमति जाहिर की। मौका पर प्रार्थी को मु.नं. 51 के कि.नं. 6 व 7/1 में नजदीकी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो रकबा जमाबन्दी खाता संख्या 44 अर्जनराम वैगरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। मु.नं. 51 के कि.नं. 6 में 0.025 है. व 7/1 में 0.006 है. कुल 0.031 है. गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है जो प्रार्थी के रकबा से निकटतम दूरी पर है। मौका पर उक्त रकबा खाली है। मुताबिक रिकार्ड मु.नं. 51 के कि.नं. 11–12 व 13/1 के रकबा पर श्रीमान् एडीजे महोदय रायसिंहनगर का स्थगन है।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी के [illegible] में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है [illegible] कि.नं. 14–15 प्रत्येक में 0.025–0.025 कुल 0.050 है. [illegible]मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर कथन किया कि प्रार्थी को मु.नं. [illegible] के कि.नं. 6–7/1 में वैकल्पिक रास्ता है जो स्वीकृति किया जा सकता है और नजदीक भी है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए उक्त कि.नं. से रास्ता की मांग की है जो गलत है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

5. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार/भू.अभि.निरीक्षक/पटवार हल्का की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत काश्तकार को रास्ता दिया जाने का प्रावधान है इसलिए प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए पं.नं. 184/340 मु.नं. 51 के कि.नं. 7/2 ता 13 में पहुंचने के लिये अप्रार्थी के उक्त मुरब्बा के कि.नं. 14–15 प्रत्येक में 0.025–0.025 है. कुल 0.050 है. रास्ता स्वीकृत किया जाना विधि संमत है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर चक 24 एन.पी. के पं.न. 184/340 मु.नं. 51 के कि.नं. 14/0.013, 15/0.025 कुल 0.038 है. उतरी पासा पर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि कुल 0.038 है. के बदले प्रार्थी से डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा करवाकर अप्रार्थी को दिलायी जावे। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजरथान

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजरथान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner